

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-07/2017/441/37-1-2017-05(124)/2010
लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2017
कार्यालय-आदेश

पशुधन अनुभाग-1, ३०प्र० शासन की विज्ञसि / अधिसूचना संख्या- 3152/37-1-10-11(29)/2001, दिनांक ०५-०७-२०१० द्वारा प्रादेशिक जीवजन्तु कल्याण बोर्ड (स्टेट एनीमल वेलफेयर बोर्ड) का गठन किया गया है। उक्त विज्ञसि के बिन्दु संख्या-12 के अंतर्गत कार्यालय आदेश संख्या- ३७८९/३७-१-२०१३-५(१२४)/२०१०, दिनांक २४ अक्टूबर, २०१० द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रादेशिक जीवजन्तु कल्याण बोर्ड (स्टेट एनीमल वेलफेयर बोर्ड) में सदस्य नामित किया गया था-

१	श्री अजीम भाई पुत्र श्री हाजी नईम खां, ८२ नगला बरी, जिला फिरोजाबाद।
२	श्री जटाशंकर सिंह पुत्र श्री सीताराम सिंह, निरो ग्राम-खडवा कुंवर, पोस्ट परसुरामपुर, जिला बस्ती।
३	श्री खादिम हुसैन पुत्र श्री गुलाम हुसैन, निरो ग्राम परसा तकिया, पोरा पुरानी बस्ती, जिला बस्ती।
४	श्री राजेश सिंह पुत्र श्री शिव यज्ञ सिंह, निरो-ग्राम- जफरपुर, पोरा श्रीरामपुर पहाडपुर, जिला सुल्तानपुर।
५	श्री श्रीराम यादव पुत्र श्री राजराम यादव, निरो- ग्राम/पोरा नेवाईजपार, जिला गोरखपुर।

२- तात्कालिक प्रभाव उपरोक्त सदस्यों के नामांकन को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

डा० सुधीर एम० बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या- ०७/२०१७/४४१(१)/३७-१-२०१७ तदद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- २- सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पोरा बाक्स नं०- ८६७२, १३/थर्ड शीवार्ड रोड, वाल्मीकी नगर, थिरुवनमियूर, चेन्नई-६०००४१
- ३- प्रमुख सचिव, ग्रह विभाग/वन विभाग/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- ४- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

-
- १- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - २- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 5- निदेशक, सी0डी0आर0आई0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 7- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ३०प्र०।
- 9- मुख्य वन जीव संरक्षक, ३०प्र०।
- 10- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ३०प्र०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कपया आगामी गजट में प्रकाशित कर 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राहुल सिंह
विशेष सचिव ।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।